न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 118/2025 बउनवानी मोहर सिंह गुर्जर बनाम प्रभारी अधिकारी(भू0अ0)कलेक्ट्रेट,स0मा0
पुत्र शिवजीलाल गुर्जर निवासी टोटोलाई पोस्ट बूचोलाई तहसील तलावडा

GCMS No-2025/ 267

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
24.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 7.7.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(भू0अ0)कलेक्ट्रेट,स0मा0 को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख सवाईमाधोपुर के पत्रांक 1521 दिनांक 17.3.2020 से अनुभाग अधिकारी जयपुर को भिजवायी गयी जॉच रिपोर्ट मय संलग्न की प्रमाणित सूचना।"* प्रभारी अधिकारी(भू0अ0)कलेक्ट्रेट,स0मा0 से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(भू0अ0)कलेक्ट्रेट,स0मा0 को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी(भू0अ0)कलेक्ट्रेट,स0मा0 की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः भू.अ./2025/3120 दिनांक 6.10.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि चाही गयी सूचना का संबंध तहसीलदार तलावडा से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 4576 दिनांक 8.8.2025 अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तहसीलदार तलावडा को अन्तरित की जाने पर तहसीलदार तलावडा के पत्रांक 1459 दिनांक 11.9.2025 से अपीलान्ट को वांछित सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 7.7.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार तलावडा द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner